DW 52/2004 1000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१००० रु. Rs 1000

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

17 JUN

Rana Randhir Singh

ट्रस्टडीड

यह सार्वजनिक न्यास का प्रलेख आज दिनांक **12.04.2004** को अम्बेडकरनगर में डॉ0 राना रणधीर सिंह पुत्र श्री देवनाथ सिंह निवासी ग्राम – करमपुर, पोस्ट – करमपुर, अकबरपुर, जिला अम्बेडकरनगर उ0प्र0 जो भारत के रहने वाले है जिनको यहाँ बाद में "सेटलर" जो प्रबन्धक / अध्यक्ष भी कहा जायेगा। इस शब्दो में उनके उत्तराधिकारियों निष्पादकों तथा प्रशासको को शामिल माना जायेगा जब तक कि यह शब्द वर्तमान संदर्भ में उसके अर्थ के विरूद्ध न हो) तथा (2– श्रीमती रंजना सिंह पत्नी डॉ0 राना रणधीर सिंह निवासी ग्राम – करमपुर, पोस्ट – करमपुर, अकबरपुर, जिला अम्बेडकरनगर उ0प्र0 " जिनको यहाँ बाद में उपाध्यक्ष व कोषाध्यक्ष कहा जायेगा" एक पक्ष तथा 3– श्री राना जीतेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री दयाशंकर सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट – लोहरा , आजमगढ़ " जिनको यहाँ बाद में न्यास का संरक्षक कहा जायेगा" 4– श्री राजेश कुमार सिंह पुत्र श्री स्व0 दयाशंकर सिंह ग्राम व पोस्ट – लोहरा , आजमगढ़ 5– श्री धीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री राम नवल सिंह ग्राम व पोस्ट जूड़ारामपुर , आजमगढ़, 6– श्रीमती मालती सिंह पत्नी श्री राना जितेन्द्र सिंह ग्राम व पोस्ट लोहरा, आजमगढ़ , 7– श्रीमती पूनम सिंह पत्नी श्री राजेश कुमार सिंह ग्राम व पोस्ट लोहरा, आजमगढ़ उ0प्र0 जो भारत के रहने वाले है। जिनको यहाँ बाद में "न्यासीगण या इस सन्दर्भ में कुछ समय के लिए बनाये गये न्यासी तथा न्यासीगण के उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारीगण निष्पादक के अर्थ के विरूद्ध न हो) द्वितीय पक्ष जो सेटलर के अनुरोध पर बनने को तैयार है।

1. **सम्पत्ति–**

अ– सेटलर ग्यारह हजार रूपया पर नगद पर स्थापना कर रहा है। भविष्य में दान, उपहार, क्रय तथा पट्टा आदि से जो भी सम्पत्ति प्राप्त होगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस सार्वजनिक न्यास में जो सम्पत्ति एक बार निहित हो जावेगी वह न्यास की सम्पत्ति होगी। ट्रस्टी न तो बेच सकता है ओर न ही गिरवी रख सकता है तथा न ही किराये पर दे सकता है, परन्तु यह नियम सेटलर पर प्रभावी नही होगा।

Rana Randhir Singh

ब– सेटलर परोपकारी भावना से उपरोक्त धनराशि का एक सार्वजनिक परोपकारी न्यास बनाने का इच्छुक है।

स– न्यासीगण इस न्यास के प्रथम न्यासीगण बनने को सहमत हो गये है।

द– इस लेख के पूर्वाभास के उपरोक्त 11000/– नगद (ग्यारह हजार) रूपये की धनराशि पहले ही इस लेख के निष्पादन के पूर्व ही न्यासीगण को स्थानान्तरित अदा एवं हस्तगत करा दिया गया है।

2. **न्यास का नाम**– यह कि न्यास (ट्रस्ट) **देव इन्द्रावती महाविद्यालय, कटेहरी, अम्बेडकरनगर** के नाम से जाना जायेगा और इसका कार्यालय ग्राम प्रतापपुर चमुर्खा स्थित बाजार कटेहरी पो0 कटेहरी जिला अम्बेडकरनगर उ0प्र0 समय–समय पर इस न्यास (ट्रस्ट) के सार्वजनिक/परोपकारी न्यासकर्त्तागण द्वारा निर्णित किये गये स्थान पर होगा।

3. **न्यास के उद्देश्य** –

1. एक स्कूल, एक इंजीनियरिंग कालेज और तकनीकी संस्थान, डेंटल कालेज, मेडिकल कालेज प्रबन्धन संस्थान, कम्प्यूटर इंस्टीट्यूशन, क्लीनिक, नर्सिंग, लॉ कालेज बी.फार्मा और बी.फार्मा। बी.टी.सी, होम हास्पिटल, हेल्थ रिसर्च, हॉस्टल एण्ड रेजिडेंस, चाइल्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन, धर्मशाला, पैरा मेडिकल कालेज और निजी विश्वविद्यालय किसी भी धर्मार्थ संस्थान/संगठन को आम जनता के लाभ और उपयोग के लिए भारत में कहीं भी एक विश्वविद्यालय है।
2. उपर्युक्त वस्तुओं के लिए किसी भी भूमि की खरीद या अधिग्रहण करना और उसके बाद निर्माण करना और भूमि और सम्पत्ति की बिक्री करना।
3. स्कूल और इंजीनियरिंग कालेज किसी भी तकनीकी संस्थान कम्प्यूटर संस्थान, क्लीनिक, नर्सिंग होम, अस्पताल की स्थापना और चलाने के लिए उपकरण, सामग्री उपकरण या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने/खरीदने के लिए हेल्थ रिसोर्स चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट, धर्मशाला, कोई भी शिक्षा और व्यावसायिक संस्थान किसी भी धर्मार्थ संस्थान/संगठन एक विश्वविद्यालय आदि।
4. शिक्षकों, प्रोफेसर, एसोसियेट प्रोफेसरों, सहायक को संलग्न नियुक्त/करने के लिए/प्रोफेसर, पाठक, प्रशिक्षक प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी, व्याख्याता, निदेशक, डीन, महानिदेशक सलाहकार– सलाहकार, चिकित्सक, सर्जन, नर्स, तकनीकी कर्मचारी, सहायक कर्मचारी, लेखा अधिकारी और कर्मचारी और सभी कर्मचारी और अच्छे नैतिक चरित्र के सेवक और कुशलतापूर्वक और आर्थिक रूप से औद्योगिक विमानन अनुसंधान कार्य, व्यक्तिगत रूप से विकास बौद्धिक और अन्य सामान्य खोज प्रदान करने में सक्षम है।
5. पुस्तकों की खरीद, संसाधन पुस्तकालय सीखना, उपकरण बनाए रखना, दवाइयाँ, अस्पताल में दवा बिक्री या वितरण विभाग/स्वास्थ्य, निवास आदि की स्थापना करना।
6. छात्रों और संस्थानों से जुड़े लोगों के लिए एक बोर्डिंग हाउस, हास्टल और आवासीय आवास को बनाए रखने और चलाने के लिए।
7. अन्य सभी काम करने के लिए अन्य कार्यों को करने के लिए और उपरोक्त वस्तुओं के लिए सभी खर्चों को उठाने के लिए।
8. एक स्वास्थ्य के साथ–साथ मानसिक, शारीरिक और नैतिक छात्रों के उत्थान और संस्था से जुड़े लोगों के विकास के प्रति आलोचनात्मक रवैया विकसित करना ताकि उन्हें अच्छा नागरिक बनाया जा सके।

Ram Radhey Singh

9. सरकार से प्राप्त ऋण या वित्त के लिए आवेदन करना। बोर्ड के न्यासी के निर्णयों के अनुसार उपरोक्त वस्तुओं की सार्थकता के लिए संपत्तियों की खरीद के लिए अर्ध सरकार या निजी निकाय।

10. दान, उपहार अनुदान, उपहार, दवाओं, पुस्तकों, उपकरणों और अन्य सभी उपकरणों को नकद या प्रकार में भेंट करना और ट्रस्ट के उद्देश्यों और वस्तुओं के लिए समान व्यवहार करना।

11. ट्यूशन फीस चार्ज करने के लिए और अन्यथा स्थापित और इस विलेख के तहत स्थापित किये जाने वाले संस्थानों के रख–रखाव और महत्ता में किए गये परिव्यय और खर्चों के लिए खुद को पुन: प्राप्त करें।

12. हस्तान्तरण के लिए निवेश और जमा करने के लिए और अन्यथा ट्रस्ट के अन्य मामले में इस तरह से निपटें जैसे कि ट्रस्टी ठीक फिट होते हैं ताकि ट्रस्ट अपनी वस्तुओं को प्रभावी ढंग से ले जाने में सक्षम हो सके।

13. छात्रों को प्रशिक्षित और लैस करना, ताकि एक सम्मानजनक तरीके से स्वयं का समर्थन किया जा सके और जीवन के सभ्य तरीके का नेतृत्व किया जा सके, ताकि अच्छे, स्वस्थ्य और प्रगतिशील नागरिकों का विकास हो सके।

14. ट्रस्ट द्वारा स्थापित/स्थापित किये जाने वाले संस्थानों में छात्रों, नर्सों और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों और कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के लिए।

15. कला, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संगीत, संस्कृति, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी प्रबन्धन, पर्यावरण, कम्प्यूटर में शोध कार्य के अवसरों को वहन करने, छात्रों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन और अनुसंधान सुविधाओं को बाहर लाने, प्रोत्साहित करने और विकसित करने के लिए। स्वास्थ्य देख–भाल, अतिथि और उद्योग और समाज के हित के अन्य क्षेत्र।

16. सामान्य बीमारियों के लिए टीकाकरण और अन्य निवारक उपाय करने के लिए और पत्रिकाओं के निर्माण, मुद्रण, प्रकाशन, प्रबन्धन और वितरण के लिए साहित्य की किताबें, अध्ययन सामग्री, पत्रक, समाचार पत्र–पत्रिकायें, पत्रिकायें, स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जनता को शिक्षित करने के लिए पर्चे। देखभाल, सामाजिक जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण, प्रौद्योगिकी और विज्ञान के लाभों के बारे में जागरूकता।

17. विवेकाधीन आचरण और कानून के शासन और आत्म–संयम का पालन करने की आदत विकसित करना।

18. ट्रस्ट की वस्तुओं के प्रबन्धन और ट्रस्ट की संपत्तियों के प्रबंधन के लिए एक तंत्र को व्यवस्थित और तैयार करना।

19. अन्य सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट या संस्थानों को सहायता या निविदा सहायता प्रदान करना।

20. सरकार की विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं में भाग लेना। भारत सरकार/ राज्य सरकार।

21. ट्रस्ट/ट्रस्ट फंड की विषय वस्तु के साथ निवेश, निपटान, हस्तान्तरण और अन्यथा इस तरह से व्यवहार करें क्योंकि ट्रस्टी को फिट होना चाहिए ताकि उन्हें मानवता/ समाज के बड़े /समग्र लाभ में प्रभावी ढंग से वस्तुओं को ले जाने में सक्षम बनाया जा सके और राष्ट्र का सामान्य कल्याण।

22. ट्रस्टियों द्वारा प्राप्त करने के लिए आकस्मिक या आचरण के रूप में अन्य सभी चीजें करना।

23. यदि इन प्रस्तावों के खण्डों में निर्दिष्ट किसी एक या अधिक वस्तु को सार्वजनिक धर्मार्थ प्रकृति की वस्तु नहीं माना जाता है, तो न्यासी हमारी ऐसी वस्तुओं को नहीं ले जाएंगे जैसे कि इन प्रस्तुतों में शामिल नहीं है, लेकिन बनाए गए विश्वास की वैधता

Rana Randhir Singh

संस्थापक द्वारा सार्वजनिक धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए एक ट्रस्ट के रूप में किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं होगा।

न्यास के अधिकार एवं कर्तव्य–

1. (क) ट्रस्टी का तात्पर्य वर्तमान ट्रस्टीज व बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा समय-समय पर नामित उसका ज्येष्ठ और यदि कोई पुरूष संतान नही है तो उसकी ज्येष्ठ पुत्री। पुत्र या पुत्री तथा उनकी संतान के जीवित न होने की स्थिति में उपरोक्त वर्णित क्रम में सेटलर की शाखा के अन्य ट्रस्टी की ज्येष्ठ संतान ट्रस्टी नामित हो सकता है। उक्त नियम तभी लागू होगा जब सेटलर द्वारा कोई नामित व्यक्ति (ट्रस्टी) नही होगा।

(ख) बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा कोई अन्य व्यक्ति चाहे वह पुरूष हो अथवा महिला व चाहे जिस धर्म जाति व सम्प्रदाय की हो। आवश्यकता पडने नामित किया जायेगा।

(ग) मैनेजिंग ट्रस्टी वह व्यक्ति होगा जो सेटलर की शाखा से ही हो जिसे तत्कालीन मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा अपने कार्यकाल में भविष्य के लिए नामित किया गया हो।

2. कमेटी/कमेटीज – बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा इस सार्वजनिक न्यास (ट्रस्ट) को चलाने के लिए विभिन्न कमेटियों/संस्थाओं का गठन किया जायेगा, परन्तु कमेटियों/संस्थाओं का न्यास (ट्रस्ट) का हेड (सेटलर) ही पदेन अध्यक्ष/प्रबन्धक होगा एवं उक्त कमेटियों का उपाध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा नामित ट्रस्टी ही होगा।

अ. यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि न्यास (ट्रस्ट) की कमेटियों/संस्थाओं के पदेन अध्यक्ष/प्रबन्धक को छोड़कर कमेटी/संस्थाओं के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा परन्तु मैनेजिंग ट्रस्टी (सेटलर) द्वारा यह कार्यकाल कभी भी घटाया या बढाया जा सकता है और इस दिशा में मैनेजिंग ट्रस्टी अन्तिम व बाध्यकारी होगा।

ब. न्यास (ट्रस्ट) का हेड सेटलर ही कमेटियों/संस्थाओं का पदेन अध्यक्ष/प्रबन्धक होगा और जो पावर ऑफ सुपरिटेन्डस होगा, परन्तु न्यास (ट्रस्ट) के विरूद्ध कोई निर्णय कमेटी द्वारा नही किया जायेगा।

स. इस न्यास (ट्रस्ट) द्वारा संचालित सभी कमेटियों/संस्थाओं का अध्यक्ष/प्रबन्धक सेटलर स्वयं होगा तथा सेटलर को यह अधिकार होगा कि यदि न्यास/संस्था के मूलभूत सिद्धान्तों से इतर कोई भी सदस्य अनैतिक कृत्य करता है तो तत्काल प्रभाव से न्यासी मंडल की सदस्यता (न्यासी) से निष्कासित कर देगा, जिसे किसी भी ट्रस्टी द्वारा कहीं व कभी भी चुनौती नही दी जा सकती है।

3. मैनेजिंग ट्रस्टी/सेटलर–

अधिकार (i) न्यास (ट्रस्टी का मैनेजिंग ट्रस्टी /सेटलर ही अध्यक्ष/प्रबन्धक होगा । न्यास ट्रस्ट का सम्पुर्ण प्रशासन आदि मैनेजिंग ट्रस्टी मे निहित होगा । अपने अधिकारो का प्रयोग करके समय-समय पर सचिव एवं कोषाध्यक्ष की नियुक्त पर उनको अधिकार प्रदान करेगा, जिसका कार्यकाल मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा घटाया या बढाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त बोर्ड की अध्यक्षता एवं नितिगत निर्णय लेने का अधिकार होगा। उसे यह भी अधिकार होगा कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के फैसले/निर्णय जो न्यास के हित में न हो अपने विवेक से अनिश्चित काल तक स्थगित कर सकता है अथवा निरस्त कर सकता है। उप मैनेजिंग ट्रस्टी के निर्णयों को कहीं व कभी भी चुनौती दी जा सकती है ।

(ii) बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा इस सार्वजनिक न्यास (ट्रस्ट) को चलाने के लिए विभिन्न कमेटीयो/संस्थाओ का गठन किया जायेगा परन्तु उक्त कमेटियों /संस्थाओ का न्यास (ट्रस्ट) का हेड (सेटलर) ही पदेन अध्यक्ष/प्रबंधक होगा एंव उक्त कमेटियों का उपाध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा नामित ट्रस्टी ही होगा ।

Rana Rajendra Singh

अ. — यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि न्यास (ट्रस्ट) की कमेटीयो /संस्थाओं के पदेन अध्यक्ष/प्रबन्धक को छोड़कर कमेटी /संस्थाओ के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा परन्तु मैनेजिंग ट्रस्टी (सेटलर) द्वारा यह कार्यकाल कभी भी घटाया या बढाया जा सकता है और इस दिशा मे मैनेजिंग ट्रस्टी का निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा।

ब. न्यास (ट्रस्ट) का हेड सेटलर की कमेटियों/संस्थाओं का पदेन अध्यक्ष/प्रबन्धक होगा। जिसको पावर ऑफ सुपरिटेन्डल होगा, परन्तु न्यास (ट्रस्ट) के विरूद्ध कोई निर्णय कमेटी द्वारा नहीं किया जायेगा।

स. इस न्यास (ट्रस्ट) द्वारा संचलित द्वारा संचालित सभी कमेटियों/संस्थाओं का अध्यक्ष/प्रबन्धक सेटलर स्वयं होगा तथा सेटलर को यह अधिकार होगा कि यदि न्यास/संस्था के मूलभूत सिद्धान्तों से इतर कोई भी सदस्य अनैतिक कृत्य करता है तो तत्काल प्रभाव से न्यासी मण्डल की सदस्यता (न्यासी) से निष्कासित कर देगा, जिसे किसी भी ट्रस्टी द्वारा कहीं व कभी भी चुनौती नहीं दी जा सकती है।

<u>कर्तव्यः</u>— मैनेजिंग ट्रस्टी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस बात को सुनिश्चित करें कि न्यास (ट्रस्ट) का कार्य कलाप सुचारू रूप से चलता रहे। वह अपने कार्यकाल में ही अपना उत्तराधिकारी नामित कर सकता है या अपने द्वारा नामित व्यक्ति को बदल सकता है या पुनः नामित कर सकता है। इस नामांकन के अधिकार को कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती है।

4. उपाध्यक्ष— न्यास के उपाध्यक्ष की नियुक्ति बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा नामित ट्रस्टी ही होगा और जिसका कार्यकाल व अधिकार समय-समय पर मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा अपने विवेक से निर्धारित किया जायेगा जिसे किसी भी ट्रस्टी द्वारा कहीं व कभी भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को नामौजूदगी में उपाध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रस्ट की मीटिंग की अध्यक्षता करेगा परन्तु ऐसी विशेष परिस्थिति में नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा।

5. सचिव— सचिव का कर्तव्य होगा कि न्यास (ट्रस्ट) के समस्त कागजात देखें व ट्रस्ट के कागजातों का रखरखाव करें। ट्रस्ट की बैठक हेतु एजेण्डा बनाकर न्यासीगणों को सूचित करें।

6. कोषाध्यक्ष— वित्त सम्बन्धी समस्त कार्यकलाप कोषाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। ट्रस्ट के आय-व्यय का लेखा-जोखा करना, दान व चन्दा प्राप्त करना व रसीद देना अध्यक्ष/मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना।

7. अन्य पदाधिकारीगण— इनका कार्यकाल व कर्तव्य तथा अधिकार बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जायेगा। इनकी नियुक्ति बोर्ड द्वारा की जायेगी उनकी संख्या को बोर्ड अपनी स्वेच्छा से घटा-बढ़ा सकता है या पद समाप्त कर सकता है।

न्यास के लक्ष्य एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु न्यास को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होगें—

1. डॉ0 राना रणधीर सिंह पुत्र श्री देवनाथ सिंह अर्थात सेटलर जो मैनेजिंग ट्रस्टी है को ही न्यास के नाम से बैंक खाता खोलने देख-रेख करने, संचालित करने का अधिकार होगा जैसा कि वे ही समय-समय पर न्यास कोष से सम्बद्ध करेगें एवं किसी भाग या उसकी आय को फिक्सड डिपाजिट करने या चालू खाता खोलने का निर्णय करेगें जिसका संचालन डॉ0 राना रणधीर सिंह कर सकते है फिर भी यदि किन्ही परिस्थितियों में उपर्युक्त न्यासी (सेटलर) उपलब्ध नही है तो उक्त खाते का संचालन उक्त अवधि में श्रीमती रंजना सिंह जो ट्रस्ट की उपाध्यक्ष/कोषाध्यक्ष है, द्वारा संचालित किया जा सकता है तथा डॉ0 राना रणधीर एवं श्रीमती रंजना सिंह की अनुपस्थिति में **देव इन्द्रावती महाविद्यालय, कटेहरी, अम्बेडकरनगर** के प्रशासन एवं प्रबन्धन एवं कोष संचालन की जिम्मेदारी इनके वंशजो की होगी, जिन्हे इन दोनो

Rana Randhir Singh

के पश्चात तत्कालीन मैनेजिंग ट्रस्टी (सेटलर) द्वारा अपने जीवनकाल में ही नामित कर दिया जायेगा। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि मैनेजिंग ट्रस्टी (सेटलर) की पत्नी श्रीमती रंजना सिंह एवं उनके पश्चात ज्येष्ठ पुत्र या पुत्री क्रमशः बिना नामित किये ही स्वतः न्यास के मैनेजिंग ट्रस्टी (सेटलर) हो जायेंगे तथा सेटलर के सम्पूर्ण अधिकारों व कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे।

2. उपर्युक्त प्राविधानों के अधीन विधिनुसार न्यासीगण न्यास कोष तथा अपने पास के धन को किसी सेक्योरिटी या शेक्योरिटीज में निवेशित करने (यदि वांछित हो) या अपने विवेकानुसार किसी निवेश या सेक्योरिटी को बदलने का अधिकार होगा।

1. न्यास कोष से सम्बद्ध या अधिग्रहीत किसी अचल सम्पत्ति को गिराने, पुर्ननिर्माण कराने, परिवर्तन करने, सुधारने, विकसित करने या मरम्मत करने जैसा कि न्यासीगण उचित समझते हो इसका उन्हे विधिक अधिकार होगा।

2. प्रबन्ध न्यासीगण को अन्य सम्पत्तियों के स्वामियों के साथ संविदा करने या उन सम्पत्तियों के स्वामियों या हितबद्ध व्यक्तियों के लाभ हेतु जैसा कि समय-समय पर प्रबन्ध न्यासीगण उचित समझते हो, जिसका उन्हें पूर्ण विवेकाधिकार होगा, लेखपत्र लिखने का भी अधिकार होगा, तथा समय-समय पर न्यासी (ट्रस्टी) को यह अधिकार होगा कि न्यास (ट्रस्ट) के विकास के लिए अचल सम्पत्ति क्रय करना एवं आवश्यकता पड़े तो न्यास (ट्रस्ट) की सम्पत्ति को विक्रय करने का भी अधिकार न्यासी (ट्रस्टी) को होगा।

3. न्यासीगण को किसी सम्बद्ध/अधिग्रहीत सम्पत्ति को आग लग जाने या अन्य प्राकृतिक विभीषिका से बचने हेतु तथा अन्य खतरों एवं नुकसानों जिसको न्यासीगण उचित समझते हो , समय-समय पर बीमा कराने का अधिकार होगा, लेकिन उन न्यासीगण या किसी न्यासी पर किसी सम्पत्ति को जो कि बीमा होने से छूट गई है को नुकसान पहुँचाने पर किसी भी प्रकार से उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी नही होगी।

4. अचल सम्पत्ति की आय एवं लाभ में से सभी किरायों , मूल्यों , कर तथा अन्य खर्चों का भुगतान करने के बाद बचे हुए धन को जैसा कि न्यासीगण उचित समझे भारी मरम्मत कराने में उपयोग करने या निवेश करने और उसकी आय को भारी मरम्मत कराने या पुर्ननिर्माण कराने या अचल सम्पत्तियों को बहाल करने या नव निर्माण कराने इस बीच में इन व्यक्तियों अधिकृत प्रतिभूतियों में उस बचे हुए धन को निवेश करने का अधिकार न्यासीगण का होगा।

3. न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु न्यास कोष की किसी अचल सम्पत्ति या उसके किसी भाग को कब्जे में लेने या उपयोग करने की अनुमति करने का भी न्यासीगण का अधिकार विधिक होगा।

4. न्यासीगण न्यास से सम्बन्धित सभी कार्य सम्पादन का नियमित लेखा-जोखा रजिस्टर विधि अनुसार बनाये रखेंगे।

5. न्यासीगण समय-समय पर उन नियमों व शर्तों पर जैसा कि उन्हे समीचीन लगता हो एक या अधिक पर्यवेक्षकों, शिक्षकों, लिपिको तथा दूसरें कर्मचारियों व नौकरों की नियुक्ति करके उनका पारिश्रमिक तय कर सकता है।

6. न्यास के लक्ष्यों के निर्वहन के उद्देश्यों से न्यासीगण को उनके द्वारा किये गये वास्तविक खर्चों का पुर्नभुगतान करने का अधिकार होगा। यह स्पष्ट करा दिया जाता है कि कोई भी न्यासी कभी भी किसी भी पारिश्रमिक वेतन का लाभ का अधिकारी नही होगा।

7. समय-समय पर न्यास के लक्ष्यों, उद्देश्यों, प्रशासन, प्रबन्धन तथा न्यास से सम्बन्धित सभी मामलों के सम्बन्ध में न्यासीगण को-आडिटर आर्किटेक्ट, सर्वेयर एकाउन्टेन्ट वैल्यूयर, सालीसिटर, एडवोकेट, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, मैनेजर तथा आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करने तथा उन्हें इस प्रकार शुल्क या विशेष पारिश्रमिक या अन्यथा जैसा कि न्यासीगण समय-समय पर अपने निर्बाध्य विवेक से उपयुक्त समझे, भुगतान करने का अधिकार होगा।

Rana Ranjana Singh

6. प्रबन्ध न्यासीगण में से किसी एक से न्यायालय, ट्रिब्यूनल प्राधिकारी या निकाय के समक्ष चल रही कार्यवाही में न्यास का प्रतिनिधित्व करने हेतु नियुक्त कर सकते है।

9. इस न्यास (ट्रस्ट) से सम्बन्धित सभी प्रसंगों का न्यास क्षेत्र अम्बेडकरनगर उ0प्र0 होगा।

10. न्यासीगण न्यास के एकाउन्ट का आडिट करायेगें तथा भारतीय न्यास अधिनियम या अन्य लागू होने वाले अधिनियमों के प्रावधानों या उसमें हुए संशोधनों का पालन करेगें।

11. न्यास के समस्त सदस्यों से न्यास के विषय में सहमति ले ली गयी है। इस न्यास विलेख (ट्रस्टडीड) में कुल रू0 1000/--का स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है।

सेटलर--

डॉ0 राना रणधीर सिंह

निवासी ग्राम व पोस्ट-- करमपुर

जिला --अम्बेडकरनगर उ0प्र0।

ट्रस्ट के स्थायी न्यासीगण

क्र0सं0	नाम	पिता/पति का नाम	पता	व्यवसाय
1.	डॉ0 राना रणधीर सिंह	श्री देवनाथ सिंह	ग्रा0 व पो0 करमपुर, अम्बेडकरनगर	कृषि
2.	श्रीमती रजना सिंह	डॉ0 राना रणधीर सिंह	ग्रा0 व पो0 करमपुर, अम्बेडकरनगर	गृहणी
3.	श्री राना जितेन्द्र सिंह	स्व0 श्री दयाशकर सिंह	ग्रा0 व पो0 लोहरा, आजमगढ	कृषि
4.	श्री राजेश कुमार सिंह	स्व0 श्री दयाशकर सिंह	ग्रा0 व पो0 लोहरा, आजमगढ	कृषि
5.	श्री धीरेन्द्र सिंह	श्री राम नवल सिंह	ग्रा0 व पो0 जूडारामपुर आजमगढ	नौकरी
6.	श्रीमती मालती सिंह	श्री राना जितेन्द्र सिंह	ग्रा0 व पो0 लोहरा, आजमगढ	गृहणी
7.	श्रीमती पूनम सिंह	श्री राजेश कुमार सिंह	ग्रा0 व पो0 लोहरा, आजमगढ	गृहणी

ड्राफ्ट--अजीज अहमद, एडवोकेट,अकबरपुर, अम्बेडकरनगर।

Rana Randhir Singh

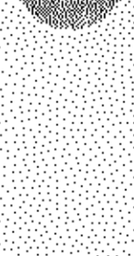

आज दिनांक 12.2.2004 को फोटो स्टेट
बही पुस्तक संख्या IV .... खण्ड 1578
पृष्ठ 226-253 पर क्रम संख्या 852
रजिस्ट्रीकृत किया गया।